



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 25 राँची, बुधवार,

2 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 जनवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-66/2015-788 (HRMS)--श्री गोपी उराँव, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची के विरुद्ध आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक-2553/स्था0, दिनांक-22.09.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं०-1- श्री गोपी उराँव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर को दिनांक 23.08.2015 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के आयोजन में राँची कोषागार से राँची कॉलेज (सब सेंटर-ए तथा बी) एवं मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुँचाने के जिम्मेदारी समन्वयी पर्यवेक्षक के रूप में दी गयी

थी। मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उन्हें दो दोसुती बैग में रखे पाँच शिल्ड बॉक्स उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें 500 प्रश्न पत्र थे, परन्तु उनके द्वारा केन्द्राधीक्षक को एक दोसुती बैग ही उपलब्ध कराया गया, जिसमें 300 प्रश्न पत्र थे। केन्द्राधीक्षक द्वारा दूरभाष पर लगभग 09:00 बजे आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची को एक दोसुती बैग उपलब्ध कराने जाने की सूचना दी गयी। आयुक्त द्वारा तत्काल सभी संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्त्ता करने पर ज्ञात हुआ कि श्री उराँव द्वारा मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची परीक्षा केन्द्र के लिए आवंटित प्रश्न पत्र से संबंधित एक दोसुती बैग राँची कॉलेज मोरहाबादी के परीक्षा केन्द्र में दे दिया गया था, जिसे आयुक्त द्वारा शीघ्र संबंधित केन्द्र पर पहुँचाया गया। श्री उराँव का उक्त कृत्य अक्षम्य लापरवाही का द्योतक है। वे बराबर कहते रहे कि इस परीक्षा केन्द्र के लिए उन्हें एक ही दोसुती बैग दिया गया है, जबकि उन्होंने दो दोसुती बैग प्राप्त किया था, जिसमें 500 प्रश्नपत्र थे।

आरोप सं०-2- आरोप सं०-1 में उल्लिखित बातों के लिए श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री उराँव ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उन्होंने मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उपलब्ध कराये गये प्रश्न पत्र के सेट निर्धारित समय में पहुँचा दिया था। उनका यह स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। यदि उनके द्वारा 500 प्रश्न पत्र उक्त केन्द्र में उपलब्ध कराये गये होते तो केन्द्राधीक्षक द्वारा दूरभाष पर आयुक्त को मात्र 300 प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने की सूचना नहीं दी जाती। अतः इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए गुमराह करने की कोशिश की है।

आरोप सं०-3- श्री उराँव को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 के आयोजन में राँची कोषागार से तीन परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुँचाने की अतिमहत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गयी थी। उन्हें मल्टीपरपस एग्जामिनेशन हॉल, मोरहाबादी, राँची के लिए उन्हें दो दोसुती बैग में रखे 500 प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु उनके द्वारा इस परीक्षा केन्द्र के लिए उपलब्ध कराये गये एक दोसुती बैग में रखे गये दो सील्ड बॉक्स अन्य दूसरे परीक्षा केन्द्र पर दे दिया गया था। 200 प्रश्न पत्रों का गायब होना अत्यंत आपात स्थिति थी। चूँकि परीक्षा शुरू ही होने वाली थी, जिससे पूरी परीक्षा बाधित हो सकती थी। इसका पूरे देश में आयोजित हो रही सिविल सर्विसेज (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015 पर तुरंत प्रभाव पड़ना अवश्यभावी था एवं परीक्षा के रद्द होने की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती। प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाहें होती एवं राज्य की छवि धूमिल होती। इस तरह श्री उराँव द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है, जो इनके गैर जिम्मेदाराना, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9263, दिनांक 23.10.2015 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री उराँव द्वारा अपने पत्रांक-906, दिनांक 16.11.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10213, दिनांक 03.01.2015 द्वारा आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से मंतव्य की माँग की गई। आयुक्त,

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक-2893/स्था०, दिनांक 21.07.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री उराँव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3962, दिनांक 25.03.2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-173, दिनांक 15.06.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री उराँव के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री उराँव के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्ताव दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8489, दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री उराँव के पत्रांक-31, दिनांक 21.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्री उराँव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वही तथ्य दोहराये गये हैं, जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था। समीक्षोपरांत श्री उराँव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1711(HRMS), दिनांक 11.04.2019 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री उराँव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P.(S) No. 3196/2019 दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2020 को आदेश पारित कर विभागीय संकल्प सं०-1711,(HRMS), दिनांक 11.04.2019 को निरस्त करते हुए प्रतिवादी सं०-02 (प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) को सामानुपातिक दण्ड अधिरोपण के संबंध में निर्णय लेने का निदेश दिया गया, माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है-

"The Court has perused the enquiry report and finds no evidence has been adduced on behalf of the respondent State to prove the charges against the petitioner. The documents may be there but the documents are required to be proved by way of leading evidence and not even a single witness has been examined to prove the charges and this aspect of the matter has been considered by the Hon'ble Supreme Court in "Roop Singh Negi v. Punjab National Bank" case. The petitioner has produced the receipt showing that on one go he has produced

five sealed bags to the said Centre Superintendent. The conclusion given by the enquiry officer is also on the conjectures and surmises as the investigating officer has opined that if the petitioner was alert on his duty he was required to deliver the bags by way of sealed box to the Centre Superintendent. Thus, it transpires that who is guilty in this matter has not been proven in that enquiry proceeding and on reading the enquiry report no prudent person can come to the conclusion that the charges against the petitioner has been proved, moreover, the punishment is also disproportionate to the charges levelled against the petitioner.

In view of the above discussions, the writ petition succeeds. The impugned order dated 11.04.2019 is quashed.

The matter is remitted back to the respondent no. 2 who will take a decision on the proportionity of the punishment against the petitioner in accordance with law.

The writ petition [W.P.(S) No.-3196 of 2019] stands disposed of accordingly." माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री उराँव के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-239, दिनांक 12.01.2021 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की माँग की गई है, जिसके अनुपालन में श्री उराँव के पत्रांक-90, दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री उराँव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर LPA No. 05/2021 (गोपी उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) के निस्तारण तक मामले को स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया है। श्री उराँव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA No. 05/2021 में दिनांक 15.09.2021 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

" This Court, in the entirety of facts and circumstances as discussed hereinabove and considering the legal position as referred above, is of the view that it is not a case for remand to take fresh decision on the quantum of punishment.

12. In that view of the matter, the order of learned Single Judge to the effect by which it has been remitted before the disciplinary authority for taking decision afresh on quantum of punishment, is declared to be illegal and accordingly, quashed and set aside.

13. Accordingly, the instant appeal stands allowed."

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 3196/2019 (गोपी उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.11.2020 एवं LPA No. 05/2021 (गोपी उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 15.09.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री गोपी उराँव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1711,(HRMS), दिनांक 11.04.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को रद्द किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GOPI ORAON 20080400131	श्री गोपी उराँव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1711,(HRMS), दिनांक 11.04.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
